

कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

I. संविदा विनिर्माता को पूंजीगत उत्पाद, उपकरण या औजार संबंधी उपकरण उपलब्ध कराने वाली विदेशी कंपनी को प्रदान की गई छूट की अवधि का विस्तार।

प्र.1 संविदा विनिर्माता को पूंजीगत उत्पाद, उपकरण या औजार संबंधी उपकरण उपलब्ध कराने से विदेशी कंपनी को होने वाली आय के संबंध में छूट के वर्तमान प्रावधान क्या हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 में वित्त अधिनियम, 2026 के माध्यम से, भारत में निवासी कंपनी होने वाले संविदा विनिर्माता को पूंजीगत उत्पाद, उपकरण या औजार उपलब्ध कराने से विदेशी कंपनी को होने वाली आय पर छूट प्रदान की गई थी। ऐसी छूट कर वर्ष 2030-31 तक उपलब्ध होगी।

उक्त छूट के लिए कुछ अन्य शर्तों की भी पूर्ति की जानी आवश्यक है। इनमें से कुछ शर्तें निम्नलिखित हैं:—

- (क) ऐसे पूंजीगत उत्पाद, उपकरण या औजार का स्वामित्व विदेशी कंपनी के पास बना रहे;
- (ख) ऐसे पूंजीगत उत्पाद, उपकरण या औजार संविदा विनिर्माता के नियंत्रण और निर्देशन में हों।
- (ग) संविदा विनिर्माता भारत में निवासी कंपनी हो और सीमा-शुल्क बंधित क्षेत्र में स्थित हो;
- (घ) संविदा विनिर्माता प्रतिफल के लिए विदेशी कंपनी की ओर से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का विनिर्माण करे।

प्र.2 यह प्रावधान आयकर अधिनियम, 2025 में कहाँ दिए गए हैं?

उत्तर: यह प्रावधान आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची IV की तालिका के क्रमांक 13क का भाग हैं।

प्र.3 उपर्युक्त प्रावधान के संबंध में कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 द्वारा आयकर अधिनियम, 2025 में कौनसा संशोधन प्रस्तावित किया गया है?

उत्तर: कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 में उक्त प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित हैं:—

- (क) उपर्युक्त छूट को अगले 10 वर्षों की अवधि के लिए, अर्थात् कर वर्ष 2040-41 तक, और बढ़ाया गया है;
- (ख) साथ ही, अधिक स्पष्टता और निश्चितता प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की परिभाषा भी दी गई है।

प्र.4 प्रस्तावित संशोधन में विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की क्या परिभाषा दी गई है?

उत्तर: अधिक स्पष्टता और निश्चितता प्रदान करने के लिए “विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ” को निम्नलिखित अर्थ में परिभाषित किया गया है:—

- (i) मोबाइल फोन; या
- (ii) लैपटॉप, आल-इन-वन निजी कंप्यूटर और टैबलेट; या
- (iii) सर्वर और अल्ट्रा स्माल फार्म फैक्टर (यूएसएफएफ); या
- (iv) खंड (i) से (iii) में उल्लिखित तैयार वस्तुओं की उप-संयोजन इकाइयाँ; या

(v) खंड (i) से (iii) में उल्लिखित तैयार वस्तुओं से संबंधित सुनने योग्य या पहनने योग्य उपकरण

II. विनिर्दिष्ट डेटा केंद्र से डेटा केंद्र सेवाएँ प्राप्त करने वाली विदेशी कंपनी को छूट प्रदान करने वाले प्रावधानों की शर्तों में संशोधन।

प्र.1 भारत में किसी विनिर्दिष्ट डेटा केंद्र से डेटा केंद्र सेवाएँ प्राप्त करने से विदेशी कंपनी को होने वाली आय के संबंध में छूट के वर्तमान प्रावधान क्या हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 में वित्त अधिनियम, 2026 के माध्यम से, किसी विनिर्दिष्ट डेटा केंद्र से डेटा केंद्र सेवाएँ प्राप्त करने के रूप में भारत में उपार्जित या उत्पन्न अथवा भारत में उपार्जित या उत्पन्न मानी गई विदेशी कंपनी की आय पर छूट प्रदान की गई है। यह छूट 31 मार्च, 2047 को समाप्त होने वाले कर वर्ष तक की अवधि के लिए प्रदान की गई है।

उक्त छूट के लिए कुछ अन्य शर्तों की भी पूर्ति की जानी आवश्यक है। यह शर्तें निम्नलिखित हैं:—

- (क) ऐसी विदेशी कंपनी को इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो;
- (ख) ऐसी विदेशी कंपनी विनिर्दिष्ट डेटा केंद्र की किसी भौतिक अवसंरचना या किसी संसाधन का स्वामित्व न रखती हो और न ही उसका परिचालन करती हो;
- (ग) ऐसी विदेशी कंपनी द्वारा भारत में स्थित उपयोगकर्ताओं को सभी विक्रय ऐसी पुनर्विक्रेता इकाई के माध्यम से किए जाते हों, जो भारतीय कंपनी हो;
- (घ) ऐसी विदेशी कंपनी निर्धारित प्ररूप और विधि में ऐसी सूचना संधारित और प्रस्तुत करे;

प्र.2 यह प्रावधान आयकर अधिनियम, 2025 में कहाँ दिए गए हैं?

उत्तर: यह प्रावधान आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची IV की तालिका के क्रमांक 13ग का भाग हैं।

प्र.3 क्या विनिर्दिष्ट डेटा केंद्र द्वारा किसी शर्त की पूर्ति की जानी आवश्यक है?

उत्तर: हाँ। अनुसूची IV की टिप्पणी 3 के अनुसार, “विनिर्दिष्ट डेटा केंद्र” से ऐसा डेटा केंद्र अभिप्रेत है, जो—

- (i) किसी अनुमोदित योजना के अंतर्गत स्थापित हो और इस प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो; और
- (ii) जिसका स्वामित्व और परिचालन किसी भारतीय कंपनी द्वारा किया जाता हो।

प्र.4 डेटा केंद्र का परिचालन करने वाली निवासी भारतीय कंपनी की आय कैसे निर्धारित की जाती है?

उत्तर: निवासी भारतीय कंपनी की आय आयकर अधिनियम, 2025 के सामान्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती है। हालांकि, जहाँ भारतीय कंपनी क्लाउड सेवाएँ प्रदान करने वाली विदेशी कंपनी की संबद्ध उद्यम है और उसे उसकी लागत के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता है, वहाँ विदेशी कंपनी द्वारा दिए गए पारिश्रमिक के लिए स्वतंत्र मूल्य निर्धारित करने हेतु 15 प्रतिशत का सेफ हार्बर प्रदान किया गया है।

प्र.5 विनिर्दिष्ट डेटा केंद्र से डेटा केंद्र सेवाएँ प्राप्त करने वाली विदेशी कंपनी के संबंध में आयकर अधिनियम, 2025 में कौनसा संशोधन प्रस्तावित किया गया है?

उत्तर: कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित हैं:

- (i) केंद्रीय सरकार द्वारा विदेशी कंपनी को अधिसूचित किए जाने की शर्त हटा दी गई है;
- (ii) केंद्रीय सरकार (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में) द्वारा विनिर्दिष्ट डेटा केंद्र को अधिसूचित किए जाने की शर्त भी हटा दी गई है;
- (iii) भारतीय कंपनी द्वारा परिचालित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट डेटा केंद्र के मामले में स्वामित्व के पट्टा मॉडल की भी अनुमति दी गई है;
- (iv) यह भी प्रावधान किया गया है कि विनिर्दिष्ट डेटा केंद्र निर्धारित शर्तों की पूर्ति करेगा।

प्र.6 भारतीय डेटा केंद्र के संबंध में पट्टाकृत स्वामित्व मॉडल की अनुमति देने का क्या प्रभाव है?

उत्तर: सरकार के समक्ष यह अभ्यावहदन किया गया था कि भारतीय कंपनी द्वारा “विनिर्दिष्ट डेटा केंद्र” का स्वामित्व और परिचालन किए जाने की शर्त इस अर्थ में कुछ सीमा तक प्रतिबंधात्मक हो सकती है, क्योंकि कोई भारतीय कंपनी किसी भारतीय डेटा केंद्र को पट्टे पर प्राप्त करने के बाद उसका परिचालन कर सकती है। इसलिए परिचालन के पट्टा मॉडल का भी प्रावधान करने के लिए प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

प्र.7 विदेशी कंपनी और विनिर्दिष्ट डेटा केंद्र, दोनों के लिए अधिसूचना की शर्त हटाने का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: क्लाउड सेवाएँ प्रदान करने वाली विदेशी कंपनी साथ ही साथ डेटा केंद्र सेवाएँ प्रदान करने वाली भारतीय कंपनी निर्धारित प्ररूप और विधि में सूचना प्रस्तुत करनी होगी जैसा नियमों के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। डेटा केंद्र सुधार को लागू करने के लिए इस शर्त को पर्याप्त माना गया है। इसलिए कारोबार करने में सुगमता के प्रयोजन से विदेशी कंपनी और भारतीय डेटा केंद्र कंपनी, दोनों के लिए अधिसूचना की शर्त हटाने का प्रस्ताव है।

III. अपरिष्कृत हीरों के विक्रय के व्यवसाय में लगी विदेशी खनन कंपनी को छूट

प्र.1 अपरिष्कृत हीरों के विक्रय के व्यवसाय में लगी विदेशी खनन कंपनी के संबंध में आयकर अधिनियम, 2025 में कौनसा संशोधन प्रस्तावित किया गया है?

उत्तर: अपरिष्कृत हीरों के विक्रय के व्यवसाय में लगी विदेशी खनन कंपनी को अपरिष्कृत हीरों के विक्रय से होने वाली किसी आय पर छूट प्रदान करने के लिए नया प्रावधान अंतस्थापित करने का प्रस्ताव है। नया प्रावधान आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची IV की तालिका के क्रमांक 13च पर अंतस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

प्र.2 प्रस्तावित प्रावधान के अंतर्गत छूट के लिए कौन पात्र होगा?

उत्तर: हीरा खनन के व्यवसाय में लगी विदेशी कंपनी या ऐसे व्यवसाय के लिए साइटहोल्डर, ब्रोकर, एग्रीगेटर या निविदा और नीलामी इकाई के रूप में कार्य करने वाली विदेशी कंपनी छूट के लिए पात्र होगी।

प्र.3 प्रस्तावित प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक शर्तें क्या हैं?

उत्तर: ऐसी छूट प्राप्त करने की शर्तें निम्नलिखित हैं:—

- (i) अपरिष्कृत हीरों का विक्रय आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 9(9)(ग)(ii)(ग) में निर्दिष्ट किसी विशेष अधिसूचित क्षेत्र (एसएनजेड) में किया जाए (मुंबई और सूरत में एसएनजेड); और
- (ii) ऐसी विदेशी कंपनी निर्धारित प्ररूप और विधि में ऐसी सूचना संधारित और प्रस्तुत करे।

प्र.4 “अपरिष्कृत हीरे” से क्या अभिप्रेत है?

उत्तर: “अपरिष्कृत हीरा” का अर्थ ऐसे हीरे से है जिस पर कोई कार्य नहीं किया गया हो या जिसे केवल आरी से काटा, विदलित या मोटा आकार दिया गया हो और जो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 7102 10, 7102 21 या 7102 31 के अंतर्गत आता हो तथा जिसके साथ किम्बरली प्रक्रिया प्रमाण-पत्र संलग्न हो।

प्र.5 प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत छूट किस अवधि के लिए उपलब्ध है?

उत्तर: छूट 15 वर्षों की अवधि के लिए, अर्थात् 31 मार्च, 2041 को समाप्त होने वाले कर वर्ष तक उपलब्ध है।

IV. विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण में संलग्न संविदा विनिर्माता को विक्रय के लिए घटकों का भंडारण करने वाली विदेशी कंपनी को छूट

प्र.1 संविदा विनिर्माता को विक्रय के लिए घटकों का भंडारण करने वाली विदेशी कंपनी के संबंध में आयकर अधिनियम, 2025 में कौनसा संशोधन प्रस्तावित किया गया है?

उत्तर: सीमा-शुल्क बंधित क्षेत्र में स्थित वहयरहाउस में घटकों के भंडारण के कारण उपार्जित या उत्पन्न होने वाली किसी आय पर विदेशी कंपनी को छूट प्रदान करने के लिए नया प्रावधान अंतस्थापित करने का प्रस्ताव है। नया प्रावधान आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची IV की तालिका के क्रमांक 13छ पर अंतस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

प्र.2 प्रस्तावित प्रावधान के अंतर्गत छूट के लिए कौन पात्र होगा?

उत्तर: सीमा-शुल्क बंधित क्षेत्र में स्थित वहयरहाउस में घटकों का भंडारण करने वाली विदेशी कंपनी, जो उन्हें विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग के लिए संविदा विनिर्माता को उपलब्ध कराती है, छूट के लिए पात्र होगी।

प्र.3 प्रस्तावित प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक शर्तें क्या हैं?

उत्तर: ऐसी छूट प्राप्त करने की शर्तें निम्नलिखित हैं:—

- (i) ऐसी छूट ऐसी विदेशी कंपनी द्वारा घटकों के विक्रय से होने वाली आय के संबंध में उपलब्ध होगी;
- (ii) ऐसा संविदा विनिर्माता किसी विदेशी कंपनी की ओर से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का विनिर्माण करे; और

(iii) ऐसी छूट निर्धारित प्ररूप और विधि में सूचना प्रस्तुत किए जाने के अधीन होगी जिसे निर्धारित किया जा सकता है।

प्र.4 “संविदा विनिर्माता” से क्या अर्थ है?

उत्तर: “संविदा विनिर्माता” से ऐसी भारतीय कंपनी अभिप्रेत है, जो सीमा-शुल्क बंधित क्षेत्र में किसी विदेशी कंपनी की ओर से विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का विनिर्माण करती है।

प्र.5 “सीमा-शुल्क बंधित क्षेत्र” से क्या अर्थ है?

उत्तर: “सीमा-शुल्क बंधित क्षेत्र” से सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 में निर्दिष्ट वहयरहाउस अभिप्रेत है।

प्र.6 प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत छूट किस अवधि के लिए उपलब्ध है?

उत्तर: छूट 15 वर्षों की अवधि के लिए, अर्थात् 31 मार्च, 2041 को समाप्त होने वाले कर वर्ष तक उपलब्ध है।

प्र.7 विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की परिभाषा क्या है?

उत्तर: “विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ” शब्द को निम्नलिखित अर्थ में परिभाषित किया गया है:—

- (i) मोबाइल फोन; या
- (ii) लैपटॉप, आल-इन-वन निजी कंप्यूटर और टैबलेट; या
- (iii) सर्वर और अल्ट्रा स्माल फार्म फैक्टर (यूएसएफएफ); या
- (iv) खंड (i) से (iii) में उल्लिखित तैयार वस्तुओं की उप-संयोजन इकाइयाँ; या
- (v) खंड (i) से (iii) में उल्लिखित तैयार वस्तुओं से संबंधित सुनने योग्य या पहनने योग्य उपकरण

v. व्यवसाय न्यास के विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) से प्राप्त या प्राप्य लाभांश पर इकाई धारक को छूट, जहाँ ऐसा एसपीवी नई व्यवस्था में है।

प्र.1 व्यवसाय न्यास के इकाई धारक द्वारा ऐसे व्यवसाय न्यास के एसपीवी से उसके इकाई धारक द्वारा प्राप्त या प्राप्य लाभांश के संबंध में छूट के वर्तमान प्रावधान क्या हैं?

उत्तर: व्यवसाय न्यास पारगामी माध्यम हैं। वह इकाई धारकों से निधियाँ एकत्र करते हैं और किसी कंपनी (विशेष प्रयोजन माध्यम—एसपीवी) के माध्यम से रियल एस्टेट या अवसंरचना में निवेश करते हैं। एसपीवी अपने लाभ पर कर का भुगतान करता है और उसके पश्चात् व्यवसाय न्यास को लाभांश देता है, जिसे इकाई धारकों को दे दिया जाता है।

वर्तमान में व्यवसाय न्यास के मामले में लाभांश प्राप्तकर्ता इकाई धारक के हाथों में तभी छूटप्राप्त है, जब एसपीवी पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत करयोग्य हो। यदि एसपीवी नई कर व्यवस्था में है, तो इकाई धारकों को लाभांश पर छूट उपलब्ध नहीं है।

प्र.2 व्यवसाय न्यास के विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) से प्राप्त या प्राप्य लाभांश पर इकाई धारक को छूट के संबंध में, आयकर अधिनियम, 2025 में कौनसा संशोधन प्रस्तावित किया गया है जहाँ ऐसा एसपीवी नई व्यवस्था में है?

उत्तर: इकाई धारक द्वारा प्राप्त लाभांश पर छूट प्रदान करने के लिए अनुसूची V [तालिका: क्रमांक 5.घ] के खंड (ख) को हटाने का प्रस्ताव है, भले ही एसपीवी ने नई कर व्यवस्था में जाने के लिए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 200 के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया हो।

प्र.3 प्रस्तावित प्रावधान के अंतर्गत छूट के लिए कौन पात्र होगा?

उत्तर: नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले एसपीवी से प्राप्त लाभांश पर इकाई धारक छूट के लिए पात्र होगा।

प्र.4 क्या व्यवसाय न्यास के एसपीवी के कराधान में कोई परिवर्तन है?

उत्तर: हाँ, वित्त अधिनियम, 2026 में संशोधन के माध्यम से, ऐसे एसपीवी पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार लगाने का प्रस्ताव किया गया है जहाँ एसपीवी नई कर व्यवस्था में है।

प्र.5 इस परिवर्तन का औचित्य क्या है?

उत्तर:

- ❖ वित्त अधिनियम, 2026 द्वारा न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) सुधार प्रारंभ किए गए थे। उक्त प्रावधानों के अनुसार आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 206 (एमएटी संबंधी प्रावधान) में संशोधन किए गए हैं, जिससे पुरानी व्यवस्था में एमएटी अंतिम कर हो और संचित एमएटी जमा का लाभ केवल तब लिया जा सके, जब कोई कंपनी नई कर व्यवस्था में जाती है।
- ❖ यह संशोधन कंपनियों को नई कर व्यवस्था में जाने में सक्षम बनाने के लिए किए गए थे। इसलिए व्यवसाय न्यास के एसपीवी को भी पुरानी व्यवस्था में अंतिम एमएटी से बचने या नई व्यवस्था में संचित एमएटी जमा का लाभ लेने के लिए नई कर व्यवस्था में जाना पड़ सकता है। इससे इकाई धारकों को लाभांश आय पर छूट समाप्त हो जाएगी।
- ❖ तदनुसार, निश्चितता प्रदान करने के लिए इकाई धारक द्वारा प्राप्त लाभांश पर छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है, भले ही एसपीवी ने नई कर व्यवस्था में जाने के लिए धारा 200 के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया हो।
- ❖ इसके अतिरिक्त, इकाई धारक को छूट प्रदान करने के कारण होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए ऐसे एसपीवी पर पंद्रह प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार लगाने का भी प्रस्ताव है जहाँ एसपीवी नई व्यवस्था में है।

VI. पात्र निवेश निधि के लिए शर्तों में छूट जहाँ पात्र निधि प्रबंधक भारत में स्थानांतरित होता है

प्र.1 किसी विदेशी इकाई की आय भारत में कब उपार्जित या उत्पन्न मानी जाती है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 9(2) के अनुसार, आय भारत में उपार्जित या उत्पन्न मानी जाती है, यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित के माध्यम से या उनसे उपार्जित या उत्पन्न होती है—

- (क) भारत में स्थित किसी परिसंपत्ति या आय के स्रोत से; या
- (ख) भारत में स्थित किसी संपत्ति से; या
- (ग) भारत में किसी व्यापारिक संबंध से; या
- (घ) भारत में स्थित किसी पूंजीगत परिसंपत्ति के अंतरण से।

प्र.2 पात्र निवेश निधि और पात्र निधि प्रबंधक के संबंध में आयकर अधिनियम, 2025 में कौन-से प्रासंगिक प्रावधान हैं, जिससे पात्र निवेश निधि का भारत में व्यावसायिक संबंध स्थापित न हो?

उत्तर: धारा 9(12) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि पात्र निवेश निधि की ओर से कार्य करने वाले पात्र निधि प्रबंधक के माध्यम से ऐसी निधि द्वारा की गई निधि प्रबंधन गतिविधि से उस निधि का भारत में व्यावसायिक संबंध स्थापित नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, अनुसूची I में, अन्य बातों के साथ-साथ, पात्र निवेश निधि या पात्र निधि प्रबंधक होने की शर्तों का प्रावधान है। वर्तमान में पात्र निवेश निधि के लिए 13 शर्तें और निधि प्रबंधक के लिए 4 शर्तें हैं। जहाँ पात्र निधि प्रबंधक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में स्थित है, वहाँ इनमें से कुछ शर्तों में छूट दी गई है।

प्र.3 पात्र निवेश निधि और पात्र निधि प्रबंधक के संबंध में आयकर अधिनियम, 2025 में कौनसा संशोधन प्रस्तावित किया गया है?

उत्तर: पात्र निवेश निधि होने की शर्तों में छूट देने के लिए आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची I में संशोधन का प्रस्ताव है। उक्त शर्तों को युक्तिसंगत बनाने के लिए वर्तमान 13 शर्तों की संख्या घटाकर केवल 5 करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित पाँच शर्तें निम्नलिखित हैं:—

- i. निधि भारत में निवासी नहीं है।
- ii. निधि ऐसे देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में निवासी है, जिसकी भारत के साथ दोहरा कराधान परिहार करार है, या जो अधिसूचित क्षेत्राधिकार में है।
- iii. भारतीय निवासियों द्वारा कुल निवेश निधि की कुल पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
- iv. निधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में कोई व्यवसाय नहीं करती और न ही उसका नियंत्रण तथा प्रबंधन करती है।
- v. निधि की ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, उसकी ओर से पात्र निधि प्रबंधक द्वारा की गई गतिविधियों के अतिरिक्त, ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न नहीं होता जो भारत में व्यावसायिक संबंध स्थापित करती हो।

प्र.4 उपर्युक्त संशोधन का औचित्य क्या है?

उत्तर: हितधारकों से पात्र निवेश निधि की शर्तों को युक्तिसंगत बनाने के लिए निरंतर अभ्यावहदन प्राप्त हुए हैं, जिससे निधि प्रबंधक भारत में विदेशी निधि का भारत में व्यावसायिक संबंध स्थापित किए बिना स्थानांतरित हो सके। निधि प्रबंधन गतिविधि को बढ़ावा देने और कर संबंधी निश्चितता प्रदान करने के लिए उपर्युक्त संशोधन प्रस्तावित किया गया है।